युवा उद्यमी योजना में फ्रेंचाइजी व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा

एमएसएमई विभाग में 150 से ज्यादा कंपनियों ने कराया पंजीकरण, उद्यम में मददगार साबित होगी फ्रेंचाइजी व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत फ्रेंचाइजी व्यवसाय को बढ़ावा दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम) विभाग ने कंपिनयों का पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। अभी तक 150 से ज्यादा कंपनियों व मशीनों के निर्माताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। विभाग की कोशिश है कि फ्रेंचाइजी माडल को युवाओं के सामने पेश किया जाए, जिससे उन्हें अपना उद्यम या व्यवसाय शुरू करने के लिए नए आइडिया मिल सकें।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को पांच लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज व गारंटी के दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था। अभी तक 50 हजार युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि बैंकों को 1,10 लाख आवेदन भेजे जा चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार ने दस वर्षों में दस लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है।

योजना के नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि एमएसएमई विभाग ने फ्रेंचाइजी देने की इच्छुक कंपनियों व विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण करने वाले उद्यमियों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। आइसक्रीम बनाने की मशीन, नैपकिन बनाने की मशीन, चप्पल बनाने की मशीन, नूडल्स बनाने की मशीन, मोमोज बनाने की मशीन, दोसा बनाने वाली हाट प्लेट, तेल पेराई की मशीन, बिस्कुट बनाने की मशीन के साथ करीब 150 से ज्यादा प्रकार के उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों व मशीन निर्माताओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

इसके अलावा चप्पल, मसाला, पानी पूरी कार्ट, चाइनीज कार्ट, आइसक्रीम कार्ट, नोटबुक, इलेक्ट्रिक पिज्जा मशीन, क्रिकेट बैट, पेपर कप, सैनिटरी नैपकिन, सैलून, फूड पैकेजिंग, टायलेट पेपर, वर्मी कंपोस्ट व मिठाई बनाने वाले प्रसिद्ध ब्रांड को लेकर संबंधित उद्यमियों से बात की जा रही है।

विभाग की कोशिश है कि फ्रेंचाइजी व्यवसाय में उन उद्यमियों का पंजीकरण किया जाए जो फ्रेंचाइजी देने के लिए पांच लाख रुपये से कम राशि लें, जिससे युवाओं को फ्रेंचाइजी लेकर अपना उद्यम या व्यवसाय शुरू करने में कोई परेशानी न हो।

******